[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रा०पत्र [illegible] — 121/2023
20-11-23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उभय पक्षकारान उपस्थित [illegible] दार/अन्य कार्य [illegible] में है। पत्रावली वास्ते आइन्दा कार्यवाही हेतु दिनांक 09-01-24 को पेश हो। [signature]
15.12.2023	प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 09.01.2024 से पूर्व तलब की जाने पर आज पेश हुई। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश करते हुए वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1661/3528 अवस्थित तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश कर दिये जाने तथा वादग्रस्त आराजी पर कॉलोनी की गतिविधियों को बन्द कर दिये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र का शीघ्र निस्तारण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिस पर प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रकरण में शीघ्र सुनवाई किये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर अंकित किया। अतः भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनापत्ति के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible]रान् अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की [illegible] निषेधाज्ञा पर सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे[illegible]ा बाबत अन्तर्गत धारा– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत स्वीकार किये जाने

—लगातार—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:43:40 IST
Reason: SelfAttested

राज० सरकार जरिये तहसीलदार बनाम कन्हा देवी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रम	प्रा० पत्र — हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज — 15/12/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 27.10.2023 को जारी स्थगन आदेश बाबत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1661/3528 रकबा 2.05 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

15/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested